भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 368
दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ

स्थानीय निकाय चुनाव

368. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत पांच से सात वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए गए हैं,

(ख) मंत्रालय द्वारा समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई पत्राचार किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि समय पर स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को ऐसे चुनावों में विलंब के संबंध में न्यायालय द्वारा विगत में उठाई गई गंभीर चिंताओं की जानकारी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (ङ) "पंचायत", "स्थानीय शासन" होने के कारण राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 243 ट (4) में यह प्रावधान है कि, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा|

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव नियमों के अनुसार नियमित रूप से कराए गए हैं। नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण के संबंध में दायर एस.एल.पी. संख्या 19756/2021 और रिट याचिका संख्या 980/2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद नहीं कराए गए हैं।

पंचायती राज मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार से लगातार अनुरोध कर रहा है कि बाधाओं को दूर करके और बिना किसी देरी के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पंचायत चुनाव कराने का प्रयास करे| हाल ही में,

मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को दिनांक 18.12.2024 को एक पत्र भी लिखा है। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध नहीं किया है।

(च) और (छ) पंचायती राज मंत्रालय को पंचायत चुनाव में देरी के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय से कोई पत्राचार /निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है |

******